अनुदान संख्या 9 - नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 9–MINISTRY OF CIVIL AVIATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	731,09,00		1042,09,00	1035,12,02	–6,96,98
पूरक	Supplementary	311,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,32,16
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	155,95,00		955,95,00	936,80,38	–19,14,62
पूरक	Supplementary	800,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					19,11,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	2252.00	1864.84	1876.01	+11.17
पु.	R.	–387.16			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3053'' नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	70261.00			
पू.	S.	31100.00	101035.69	100959.42	–76.27
पु.	R.	–325.31			

(I) 6.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.6.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - नागर विमानन मंत्रालय'' के अंतर्गत 369.98 लाख रु. की बचत (2239.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग, प्रचार और उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Civil Aviation" – saving of Rs.369.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2239.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalization of schemes relating to IT Networking, Publicity and consumer Awareness and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3053" – "General" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(A) "Direction and Administration" –

(क) ''नागर विमानन महानिदेशक'' - 448.73 लाख रु. की बचत (2482.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, यात्रा व्ययों के कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Director General Civil Aviation" – saving of Rs.448.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2482.10 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards travel expenses and economy measures.

(ख) ''विकास परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं/अध्ययन'' - 101.20 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं से दावे प्राप्त न होने और पुन: निविदा आमंत्रित किए जाने की वजह से विभिन्न परियोजनाओं के पूरी न होने के कारण हुई।

(b) "Development projects & consultancies/ studies" – saving of Rs.101.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from consultants and non-completion of various projects owing to re-tendering.

(खा) ''अन्य व्यय - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान'' - 610.00 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अकादमी में प्रशिक्षण कार्यकलाप कम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure – Grants-in-aid to Indira Gandhi Rastriya Uran Academy" – saving of Rs.610.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to conducting of fewer training activities in the Academy.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 57.72 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 38 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.57.72 lakhs occurred constituting 38 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत मार्च, 2010 में 31100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.1000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.31100.00 lakhs in March, 2010 under Major Head "3053" – "General – Other Expenditure - Subsidy for operation of Haj Charters".

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 85.59 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.85.59 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5053'' नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	9638.00			
पू.	S.	80000.00	88727.00	88723.38	–3.62
पु.	R.	–911.00			
मुख्य शीर्ष "7053'' नागर विमानन के लिए कर्ज	Major Head "7053" Loans for Civil Aviation				
मू.	O.	3957.00	4957.00	4957.00	. .
पु.	R.	1000.00			

(I) 2000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552'' - "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "4552" – "Airports – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Airports Authority of India" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "5053'' - "सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5053" – "General" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - नागर विमानन महानिदेशक'' - 1081.84 लाख रु. की बचत (2300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्‌दिष्ट परियोजना को स्वीकृति प्रदान न किए जाने और निविदाओं पर असंतोषजनक प्रतिक्रिया की वजह से हवाई अड्डा निरीक्षकों के लिए दुर्घटना अन्वेषण किट और उपस्कर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration – Directorate General of Civil Aviation" – saving of Rs.1081.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2300.00 lakhs) was due to non-clearance of earmarked project and non-procurement of Accident Investigation kits and equipment for Aerodrome Inspectors owing to unsatisfactory responses to tenders.

(खा) "अन्य व्यय - नागर विमानन सुरक्षा'' - 1327.78 लाख रु. की बचत (1380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और सामग्री की आपूर्ति न किए जाने की वजह से आपूर्तिकताओं को अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure – Civil Aviation Security" – saving of Rs.1327.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1380.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and non-payment to suppliers owing to non-supply of material.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "5053'' -

(I) Major Head "5053" –

(का) "हवाई सेवाएं - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पवन हंस हेलिकाप्टर्स लि.'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पवन हंस द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट बनाए जाने संबंधी परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Air services - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Pawan Hans Helicopters Ltd." – excess of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards project for creation of Heliport at Rohini, New Delhi by Pawan Hans.

(खा) "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)'' - 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3958.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(B) "Airports - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Airports Authority of India (National Airports Division)" – excess of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3958.00 lakhs); and

(II) मुख्य शीर्ष "7053'' - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग) - 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3957.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) Major Head "7053" – "Loans to Public Sector and Other Undertakings – Airports Authority of India (National Airports Division)" – excess of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3957.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilizations on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.